न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सी

जगदीश प्रसाद बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा 136 LR मु. नं. 41/2025 वर्ष

दिनांक	आज्ञा–पत्र	
11/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः एल.आर./25/2329 दिनांक 14.07.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन वकील प्रार्थी ने कर मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थीया का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर दुरूस्ती करने का निवेदन किया। हस्तगत आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वकील प्रार्थी ने संक्षिप्ततः निवेदन किया है कि "ग्राम फागलवा पटवार हल्का सेवा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के (नये) खाता सं. 177 व 179 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि हरि पुत्र बना दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम जगदीश प्रसाद पुत्र बनाराम है। प्रार्थी के नाम से बने पहचान के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जॉब कार्ड, श्रमिक डायरी, परिवार राशन कार्ड व मतदाता पहचान–पत्र आदि की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थी का नाम जगदीश प्रसाद पुत्र बनाराम अंकित है, जो कि सही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि हरि पुत्र बना के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र बनाराम दुरूस्त किया जावें।" प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार से प्राप्त उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः वकील प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः एल.आर./25/2329 दिनांक 14.07.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम फागलवा पटवार हल्का सेवा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के (नये) खाता सं. 177 व 179 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि हरि पुत्र बना के स्थान पर जगदीश प्रसाद उर्फ हरि पुत्र बनाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद (जिला–सीकर (राज.)) Signature Not Verified Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra Date: 2025.08.20 16:47:28 IST Reason: SelfAttested	